



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1943 (श०)

(सं० पटना 323)

पटना, बुधवार, 2 जून 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 03/2021-राज्य कर (दर)

2 जून 2021

एस०ओ० 101 दिनांक 2 जून 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 06/2019 -राज्य कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 504 दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा -:

उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा में,-

(क) शब्द “जिनके मामले में केंद्रीय कर का भुगतान करने की देयता है” के स्थान पर शब्द “जो कि इन पर राज्य कर का भुगतान करेंगे” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) शब्द “सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, आरईपी के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कब्जे पर, जो भी पहले हो को उत्पन्न होगा” के स्थान पर शब्द “उस कर अवधि में, जो कि ऐसी कर अवधि के बाद न हो, जिसमें, जहां भी आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा परियोजना से संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र को जारी किए जाने की तारीख या इसके पहले कब्जे की तारीख, जो भी पहले हो, पड़ती हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 03)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

2 जून 2021

एस०ओ० 101, दिनांक 2 जून 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 03)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

Notification No. 03 /2021 – State Tax (Rate)

The 2nd June 2021

S.O. 101 dated the 2nd June 2021-- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 06/2019-State Tax (Rate), dated the 29th March, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 504 dated the 29th March, 2019—

In the said notification, in the first paragraph,-

- (a) for the words “in whose case the liability to”, the words “, who shall” shall be substituted;
- (b) for the words “shall arise on the date of issuance of completion certificate for the project, where required, by the competent authority or on its first occupation, whichever is earlier”, the words “in a tax period not later than the tax period in which the date of issuance of the completion certificate for the project, where required, by the competent authority, or the date of its first occupation, whichever is earlier, falls” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 2nd day of June, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10) 03]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 323-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>